[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

<u>शुद्धिपत्र</u>

नई दिल्ली, 18 नवंबर, 2026

सा.का.नि. .....(अ).– भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 919(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 2026, मद सं. 846 द्वारा प्रकाशित केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2026 के हिंदी पाठ में, –

1. पृष्ठ 4 पर, –

   (i) पंक्ति 41 में, "प्रतिनिधि" के स्थान पर "व्यक्ति" पढ़ें;

   (ii) पंक्ति 43 में, "अनुमति" के स्थान पर "सहमति" पढ़ें;

2. पृष्ठ 5 पर, –

   (i) पंक्ति 1 में, "अनुमति" के स्थान पर "सहमति" पढ़ें;

   (ii) पंक्ति 6 में, "अनुमति" के स्थान पर "सहमति" पढ़ें;

   (iii) पंक्ति 8 में, "अनुमति" के स्थान पर "सहमति" पढ़ें;

3. पृष्ठ 10 पर, –

   (i) पंक्ति 4 में, "(3)" के स्थान पर "(2)" पढ़ें;

   (ii) पंक्ति 34 में, "(3)" के स्थान पर "(2)" पढ़ें;

4. पृष्ठ 11 पर, पंक्ति 3 में, "29 की उपधारा (9) के अधीन" के स्थान पर "29 के अधीन" पढ़ें;

5. पृष्ठ 16 पर, पंक्ति 17 में, "जमा किया जाएगा :";" के स्थान पर, "जमा किया जाएगा :

   परंतु प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में जारी आदेश का समुचित अधिकारी द्वारा पुनःविधिमान्यकरण अपेक्षित नहीं होगा :

   परंतु यह और कि प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय आदेश का वहां पुनःविधिमान्यकरण अपेक्षित होगा, जहां प्रतिदाय का संवितरण उसी वित्तीय वर्ष के भीतर नहीं किया गया है, जिसमें उक्त संदाय आदेश जारी किया गया था।";" पढ़ें;

6. पृष्ठ 26 पर, पंक्ति 2 में, "नामांकन रजिस्ट्रीकरण" के स्थान पर "नामांकन" पढ़ें;

7. पृष्ठ 27 पर, –

(i) पंक्ति 3 में, “7.” के स्थान पर “1.” पढ़ें;

(ii) पंक्ति 4 में, “8.” के स्थान पर “2.” पढ़ें;

(iii) पंक्ति 5 में, “9.” के स्थान पर “3.” पढ़ें;

(iv) पंक्ति 6 में, “10.” के स्थान पर “4.” पढ़ें;

(v) पंक्ति 7 में, “11.” के स्थान पर “5.” पढ़ें;

(vi) पंक्ति 8 में, “12.” के स्थान पर “6.” पढ़ें;

(vii) पंक्ति 9 में, “13.” के स्थान पर “7.” पढ़ें;

(viii) पंक्ति 11 के स्थान पर, “नवीनतम संपत्ति कर रसीद” पढ़ें;

(ix) पंक्ति 13 के स्थान पर, “नगरपालिका खाता की प्रति” पढ़ें;

(x) पंक्ति 15 के स्थान पर, “संपत्ति पहचान की प्रति” पढ़ें;

(xi) पंक्ति 17 के स्थान पर, “नवीनतम विद्युत बिल की प्रति” पढ़ें;

(xii) पंक्ति 19 के स्थान पर, “नवीनतम जल बिल की प्रति” पढ़ें;

8. पृष्ठ 33 पर, स्तंभ 5 में, पंक्ति 4 और पंक्ति 5 के स्थान पर, “कृपया अपलोड करें” पढ़ें;

9. पृष्ठ 48 पर, –

(i) पंक्ति 10 का लोप करें;

(ii) पंक्ति 11 में, “3.” के स्थान पर “2.” पढ़ें;

(iii) पंक्ति 13 में, “4.” के स्थान पर “3.” पढ़ें;

10. पृष्ठ 49 पर, –

(i) पंक्ति 12 में, “5.” के स्थान पर “4.” पढ़ें;

(ii) पंक्ति 14 में, “6.” के स्थान पर “5.” पढ़ें;

(iii) पंक्ति 15 में, “7.” के स्थान पर “6.” पढ़ें;

11. पृष्ठ 50 पर, –

(i) पंक्ति 10 में, “8.” के स्थान पर “7.” पढ़ें;

(ii) पंक्ति 13 में, “9.” के स्थान पर “8.” पढ़ें;

(iii) पंक्ति 14 में, “10.” के स्थान पर “9.” पढ़ें;

12. पृष्ठ 51 पर, –

(i) पंक्ति 26 में, “11.” के स्थान पर “10.” पढ़ें;

(ii) पंक्ति 27 में, “12.” के स्थान पर “11.” पढ़ें;

13. पृष्ठ 52 पर, –

(i) पंक्ति 1 में, “13.” के स्थान पर “12.” पढ़ें;

(ii) पंक्ति 2 में, “14.” के स्थान पर “13.” पढ़ें;

(iii) पंक्ति 4 में, “15.” के स्थान पर “14.” पढ़ें;

(iv) पंक्ति 5 में, “16.” के स्थान पर “15.” पढ़ें;

(v) पंक्ति 7 में, “17.” के स्थान पर “16.” पढ़ें;

(vi) पंक्ति 9 में, “18.” के स्थान पर “17.” पढ़ें;

(vii) पंक्ति 10 में, “19.” के स्थान पर “18.” पढ़ें;

14. पृष्ठ 54 पर, पंक्ति 6 में, “ उपनियम (5)” के स्थान पर “उपनियम (7)” पढ़ें;

15. पृष्ठ 63 पर, पंक्ति 1 में, “सात दिन” के स्थान पर “सात कार्य दिवस” पढ़ें;

16. पृष्ठ 68 पर, –

(i) पंक्ति 2 में, “7. मैं,” के स्थान पर “मैं,” पढ़ें;

(ii) पंक्ति 5 में, “8. मैं,” के स्थान पर “मैं,” पढ़ें;

17. पृष्ठ 69 पर, पंक्ति 17 में, “उपनियम (20)” के स्थान पर “उपनियम (25)” पढ़ें;

18. पृष्ठ 71 पर, पंक्ति 4 में, “किया है ; या” के स्थान पर “किया है।” पढ़ें;

19. पृष्ठ 77 पर, पंक्ति 19 में, “अनुमति” के स्थान पर “सहमति” पढ़ें;

20. पृष्ठ 78 पर, पंक्ति 1 में, “अनुमति” के स्थान पर “सहमति” पढ़ें;

21. पृष्ठ 106 पर, पंक्ति 5 में, “काटा” के स्थान पर “संगृहीत” पढ़ें;

22. पृष्ठ 107 पर, पंक्ति 34 में, “काटा” के स्थान पर “संगृहीत” पढ़ें;

23. पृष्ठ 112 पर, पंक्ति 12 और पंक्ति 13 के स्थान पर, “2017, सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 20/2025-केंद्रीय कर, तारीख 31 दिसंबर, 2025, सा.का.नि. 950(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2025 द्वारा किया गया था।” पढ़ें।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/1/2026-जीएसटी]

(इंद्रजीत पांडा)

अवर सचिव